65

संख्या– 213 /XXVII(6)–587–2014/2008

प्रेषक,

भास्करानन्द,
सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

निदेशक,
कोषागार एवं वित्त सेवाएं,
उत्तराखण्ड देहरादून।

वित्त अनुभाग–6 देहरादूनः दिनांकः 04 जून, 2014

विषय– उत्तराखण्ड वित्त सेवा के अधिकारियों, उप कोषाधिकारी, निदेशालय में कार्यरत अधिकारियों को क्लोज यूजर्स ग्रुप मोबाईल सिम की सुविधा अनुमन्य कराये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

कृपया उपर्युक्त विषयक अपने पत्र संख्या 1926/24(43)/प्रावि0/नि0को0वि0से0/2012 दिनांक 03 मार्च, 2014 का सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें। जिसमें आप द्वारा उत्तराखण्ड वित्त सेवा के अधिकारियों, उप कोषाधिकारियों, निदेशालय में कार्यरत्त अधिकारियों को सी0यू0जी0 सिम की सुविधा अनुमन्य कराये जाने का अनुरोध किया है।

2. प्रकरण के सन्दर्भ में सम्यक् विचारोंपरान्त मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि कोषागारों/उपकोषागारों के नित्य प्रतिदिन के कार्यों का ऑनलाईन पर्यवेक्षण तकनीक समाधान, कार्यकुशलता बढ़ाये जाने एवं राष्ट्रीय ई–गवर्नेन्स प्रोजेक्ट के दृष्टिगत उचित प्रबन्धकीय व्यवस्थाओं के लिये तथा एस0बी0आई0 की कॉरपरेट इन्टरनेट बैंकिंग (सी0आई0एन0बी0) हेतु निदेशक कोषागार, अपर निदेशक कोषागार, उपकोषाधिकारी (मुख्यालय), सहायक कोषाधिकारी (मुख्यालय), सहायक लेखाधिकारी (मुख्यालय), प्रदेश के समस्त कोषागार (मुख्य/वरिष्ठ/कोषाधिकारी), समस्त उप कोषाधिकारी, समस्त सहायक कोषाधिकारी को क्लोज यूजर्स ग्रुप (सी0यू0जी0) मोबाईल कनेक्शन योजना के अन्तर्गत निम्नलिखित शर्तों एवं प्रतिबन्धों के अधीन मोबाईल सिम की सुविधा उपलब्ध कराये जाने की श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं :–

1. प्रश्नगत कनेक्शन के लिये मोबाईल सेट सम्बन्धित कार्मिक को **स्वयं** के व्यय पर लेना होगा।

2. इसका प्रयोग सरकारी कार्यो के लिए किया जायेगा और स्वीकृत वित्तीय सीमा, जिसका विवरण निम्न प्रस्तर–2 की तालिका में अंकित है, के अन्तर्गत इस हेतु आउटगोइंग काल्स भी अनुमन्य होंगे।

3. यदि व्यक्तिगत कार्यो के लिए कोई कार्मिक इसका उपयोग करना **चाहें** तो निर्धारित सीमा से अधिक का व्यय सम्बन्धित कार्मिक द्वारा स्वयं वहन किया **जायेगा**।

4. ग्रुप के अन्दर उपभोक्ता अपने–अपने मोबाईल सेट खुला रखेंगे, ताकि सरकारी कार्यो में किसी प्रकार की बाधा उत्पन्न न हो।

5. यह सुविधा तभी तक अनुमन्य रहेगी, जब तक सम्बन्धित कार्मिक उत्तराखण्ड वित्त सेवा में तैनात रहेंगे।

6. उत्तराखण्ड वित्त सेवा/कोषागार/निदेशालय से बाहर तैनात अथवा सेवानिवृत्त होने की दशा में सम्बन्धित कार्मिक द्वारा उपर्युक्त मोबाईल सिम कार्ड निदेशालय कोषागार को तत्काल वापस किया जाना होगा। ऐसा न किये जाने की दशा में निदेशालय द्वारा भुगतानिक धनराशि की वसूली कर ली जायेगी।

7. क्लोज यूजर्स ग्रुप (सी0यू0जी0) मोबाईल सिम की सुविधा अनुमन्य कराये जाने के लिये दूरसंचार सेवा प्रदाता कम्पनी आदि का चयन कोषागार निदेशालय के अन्तर्गत गठित क्रय समिति की संस्तुति/रिपोर्ट के आधार पर नियमानुसार अधिप्राप्ति नियमावली 2008 तथा इसमें समय-समय पर किये गये संशोधन का अनुपालन करते हुये किया जायेगा।

2. उपरोक्त कनेक्शन धारक कार्मिकों को ग्रुप के अन्तर्गत बात करने के लिये निःशुल्क असीमित काल अनुमन्य होंगी, तथा ग्रुप के बाहर बात करने के लिये निम्नवत् निर्धारित वित्तीय सीमा के अन्तर्गत भुगतान निदेशालय स्तर से किया जायेगा :-

क्र.सं.	पदनाम	बाहरी कॉल के लिये प्रतिमाह प्रति कार्मिक अनुमन्य वित्तीय सीमा (रूपये में)
1.	निदेशक	300
2.	निदेशालय के अपर निदेशक	250
3.	समस्त मुख्य/वरिष्ठ कोषाधिकारी	150
4.	समस्त कोषाधिकारी/उपकोषाधिकारी/उपकोषाधिकारी (मुख्यालय)/सहायक कोषाधिकारी/सहायक कोषाधिकारी (मुख्यालय)/सहायक लेखाधिकारी (मुख्यालय)	100

3. इस सम्बन्ध में होने वाला व्यय सम्बन्धित वित्तीय वर्ष के आय-व्ययक की अनुदान संख्या-07 के अन्तर्गत निहित सुसंगत लेखाशीर्षकों के नामे डाला जायेगा।

(भास्करानन्द)
सचिव।

संख्या- 243 (1)/ XXVII(6)-587-2008/2014 तद्दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-

1- महालेखाकार (आडिट), उत्तराखण्ड वैभव पैलेस सी-1/105 इन्दिरानगर देहरादून।
2- महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी), उत्तराखण्ड ओबेराय मोटर्स बिल्डिंग माजरा देहरादून।
3- निजी सचिव, अपर मुख्य सचिव/सचिव, उत्तराखण्ड शासन।
4- केन्द्रीयकृत भुगतान एवं लेखा कार्यालय, 23-लक्ष्मी रोड़, देहरादून।
5- निदेशक, एन.आई.सी सचिवालय।
6- गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

(दिलीप जावलकर)
अपर सचिव।